न्यायालय उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

दरयाब बाई बनाम बीरम वगै 0

प्रकरण संख्या :-03/20

1. दरयाब बाई पत्नी भागचंद जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना

..... प्रार्थीगण

1 वीरम पिता लाला जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना

2 दीपचंद पिता वीरम जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना

3. हेमराज पिता बीरम जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना

4. भगवान सिंह पिता बीरम जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना

5. कमली बाई पत्नी वीरम जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना

6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 15.01.2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं- ग्राम गणेशपुरा पटवार हलका चांदपुर भीलन तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 4 पुरानी 4 की खसरा नंबर 88, 89,91,105,106,107,141कुल 7 किता की आराजी प्रार्थी व अन्य सहखातादारान की शामिल खाते की आराजी है। ग्राम गणेशपुरा लोधान पटवार हलका चांदपुर भीलन के माल की खाता संख्या नया 31 पुराने 32 की खसरा नंबर 99 की आराजी प्रार्थी के खाते दर्ज है उक्त आरजी में एक कुआं स्थित है प्रार्थी इस कुएं से अपने हिस्से की आराजी को संचित करता चला आ रहा है उक्त खसरा नंबर 99 की आराजी से खसरा नंबर 105, 106,107 की आराजी पर आने-जाने का वर्षों पुराना रास्ता बीरम पिता

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

लाला के खातेदारी के खसरा नंबर 109 की आराजी में से होकर निकलता चला आ रहा है। उक्त रास्ते में से ही खसरा नंबर 105,106,107 की आराजी से खसरा नंबर 99 की आराजी पर आने जाने कृषि यंत्र निकालने का एकमात्र रास्ता है जिसेअप्रार्थीगण एक लगायत पांच ने जबरन बंद कर दिया है।जिससे प्रार्थी क़े खसरा नंबर 99 पर आने जाने का रास्ता बंद हो गया है जिसे खुलवाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नंबर 99 की आराजी पर आने-जाने हेतु अप्रार्थी नंबर एक की खाते की आराजी खसरा नंबर 109 में से होकर रास्ता दिलवाए जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबगी की गई तथा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चंद्र वैष्णव ने वकालतनामा पेश किया।अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कहा कि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने का रास्ता वाद की मद संख्या एक में वर्णित आराजी खसरा नंबर 105, 106,107 में से होकर गुजर रहा है जिससे प्रार्थीया हमेशा से गुजरती चली आ रही है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया का कोई रास्ता बंद नहीं किया है। प्रार्थीया का अपनी आरजी खसरा नंबर 99 में आने जाने के लिए एक और रास्ता मौके पर मौजूद है वर्तमान में प्रार्थी उसी रास्ते में से होकर गुजर रही है। प्रार्थीया ने प्रार्थी गण को नाजायज रूप से परेशान करने के आशय से यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है इस खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया आरजी के खसरा नंबर 109 में से होकर गुजरना चाहती है उसे आरजी के मालिक अप्रार्थी नंबर एक के अलावा अन्य खातेदार भी हैं जिनको वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है।इसलिए प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है तथा काबिल खारिज होने योग्य है इस प्रकार अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रार्थना-पत्र को मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादी के द्वारा अपनी भूमि खसरा नंबर 99 पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा जो रास्ता प्रार्थया की जोत खसरा नंबर 99 तक जाता है वह खसरा नंबर 109 से होकर गुजरता है तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 109 कुल रकबा 1.6835 में से रास्ते हेतु आवश्यक रास्ता 0.0081 हेक्टेयर भूमि दिए जाने का निवेदन किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A के प्रावधानानुसार न्यायालय उपखंड अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि संक्षिप्त जांच के पश्चात् यह समाधान

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

हो जाए कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यान्तिक है, वैकल्पिक मार्ग नहीं है तो लघुतम/निकटतम मार्ग (तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो) प्रदान करे। मार्ग भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित हो जाएगी।

यहां धारा 251क को देखना समीचीन होगा

251क अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना - (1)जहां-

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या,यथास्थिति उनके जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथा स्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखंड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

(i) यह आवश्यकता आत्यन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाइन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर जो उसे अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाए, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाए तो लघुत्तम या निकटतम रूप से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अधिक चौड़ा ना हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए उसे अभिधारी को जो उसे भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या (विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखंड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए या प्रतिकर के संदाय के एवज में ऐसे

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कल
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (रा.

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.) सत्यमेव जयते

अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानत: समान कीमत की और उसकी लगी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किए जाने पर) अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) क़े अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जाएगी।

(3) वह व्यक्ति जिनको उपधारा (1) में निरदिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा की उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में,जिसमे से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाए, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज़ी साक्ष्य,तहसीलदार जाँच-रिपोर्ट का गौरपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। ततपश्चात न्यायालय का प्रकरण पर विधिक परीक्षण निम्ननुसार है :-

प्रार्थीगण की वादग्रस्त जोत खसरा नं.99 अप्रार्थीगण की जोत खसरा नं. 109 से पूर्णतः सटकर अवस्था में सिद्ध होती है। धारा 251A(1) के प्रथम सिद्धान्तानुसार आवश्यकता आत्यन्तिक सिद्ध करने हेतु प्रार्थीगण ने शपथ-पत्र एवं जमाबंदी (संवत् 2074-2077) प्रस्तुत कर कृषि उत्पादन/उपकरण परिवहन हेतु वास्तविक बाधा प्रदर्शित की। यह केवल सुविधाजनक नहीं अपितु आत्यन्तिक आवश्यकता है। यह वैकल्पिक मार्ग के अभाव का प्रमाणीकरण है अप्रार्थीगण का कथन है प्रार्थी की आराजी पर आने जाने का रास्ता वाद की मद संख्या एक में वर्णित आराजी खसरा नंबर 105, 106,107 में से होकर गुजर रहा है, चालू रास्ता मौजूद है, मौके की स्थिति से मेल नहीं खाता है क्योंकि खसरा नंबर 105, 106,107 की सीमाएं खसरा नंबर 99 से नहीं लगती है एवं तहसीलदार स्थल निरीक्षण मौका रिपोर्ट से खण्डित है। तहसीलदार ने स्पष्ट अंकित किया कि **"प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं" है।** धारा 251क(1)(ख) के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अभाव सक्षम राजस्व अधिकारी प्रमाणन से सिद्ध है जिसे अप्रार्थीगण ने किसी भी साक्ष्य से इसे उल्टा नहीं है।

तहसीलदार रिपोर्ट क़े अनुसार खसरा 109 से 99 तक 4 मीटर चौड़ा x 20 मीटर लंबा (0.0081हे.) निकटतम और न्यूनतम आवश्यक मार्ग प्रस्तावित किया गया है। यह धारा 251A क़े अधिकतम 30 फीट सीमा क़े अनुरूप एवं न्यूनतम प्रभाव सिद्धान्त क़े अनुरूप है। **प्रकरण तीनों शर्तें आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव, लघुतम पूर्ण**

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

करता है।

-:आदेश:-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी ग्राम गणेशपुरा खसरा नंबर 99 पर पहुंच हेतु अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 109 की 1.6835 रकबा हेक्टेयर में से 0. 0081 हेक्टेयर को रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार किस्म रास्ता क़ीमतन दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। वर्णित रास्ते की वर्तमान डीएलसी की दुगने राशि का मूल्यांकन तहसीलदार द्वारा किया जाए। उक्त राशि को प्रार्थीया द्वारा, जमाराज करवाया जाकर अप्रार्थी को अदा करवाई जाए। नक्शा लट्ठा में तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन किया जाए यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को लेने से मना किया जाता है तो उक्त राशि बतौर अमानत नियमानुसार राजकोष में जमा किया जाए। दोनों पक्ष अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)
सत्यमेव जयते

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना